मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

उपस्थितः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
04/09/19	03/15/20	0 वर्ष, 11 माह, 6 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या 168 वर्ष 2019
बान सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष पेशा- कृषक पुत्र श्री परशुराम निवासी- ग्राम- लेवा, थाना- बड़ागांव, जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश

------याची

प्रति

1. राधे लाल अहिरवार उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र श्री मनीराम पेशा- ठेकेदारी निवासी-ग्राम- लेवा, थाना- बड़ागांव, जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश
.....मालिक वाहन ट्रैक्टर महिंद्रा सं. यूपी 93 ए.बी. 4953
2. सुरेन्द्र पुत्र श्री प्रकाश निवासी- ग्राम- लेवा, थाना- बड़ागांव, जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश
.....चालक वाहन सं. यूपी 93 ए.बी. 4953

-------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री कैलाश नाथ तिवारी
विपक्षी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता- श्री ....

निर्णय

याची द्वारा यह याचिका मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम 1988 संशोधित एक्ट नंबर 54 सन 1994 की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याची को आई चोटों के कारण ₹ 6,80,000 क्षतिपूर्ति मय 18% वार्षिक ब्याज दावा प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची दिनांक 08.02.2019 को राजगढ़ से गुजर्रा, 33 वी बटालियन पी.ए.सी. राजगढ़ कच्ची सड़क के पास प्रेम नगर झांसी होकर जा रहा था कि तभी ट्रैक्टर महिंद्रा नंबर यूपी 93 ए.बी. 4953 जिसे सुरेंद्र पुत्र प्रकाश निवासी- ग्राम- लेवा, थाना- बड़ागांव, जिला- झांसी गारंटी और तेजी व लापरवाही से चलाकर याचे बान सिंह को जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसे गंभीर चोटें आई और बाएं पैर की जांघ की हड्डी टूट गई, दाएं पैर में चोट, सिर के पीछे चोट, छाती में चोट आई थी। उपरोक्त घटना को बृजलाल पुत्र शंकरलाल निवासी हाजीपुरा थाना बड़ागांव जिला झांसी में देखा था। दुर्घटना होते हुए देखकर आये, चुटैल को उठाया और पुलिस को सूचना दी। राहगीरों की मदद से मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया और मेडिकल कॉलेज झांसी मे डॉक्टर वीरेंद्र सिजारिया का इलाज भर्ती दौरान चल रहा है। सर्जरी ऑपरेशन कर पैर में स्टील रॉड डालकर प्लास्टर चढ़ाया गया है। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट उसके छोटे भाई प्रमोद में दिनांक 09.03.2019 को थाना प्रेमनगर झांसी में दर्ज कराई है। रिपोर्ट देरी का कारण ट्रैक्टर चालक व मालिक का नाम पता ट्रैक्टर नंबर ज्ञात करने में समय लगा। इस दुर्घटना में वादी की कोई गलती नहीं है। दुर्घटना में घायल होने के कारण वादी खेती बाड़ी मजदूरी नहीं कर पा रहा है जिससे परिवार के पालन पोषण करने में अवरुद्ध हो रहा है। याची के इलाज में अब तक ₹1,30,000 खर्च हुए हैं।

3. विपक्षी संख्या 1 व 2 पर तामीला पर्याप्त होने के पश्चात वे उपस्थित नहीं आए अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई प्रारंभ की गई।

4. याची की ओर से निम्न लिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

अभिलेखीय साक्ष्य-

1. सूची साक्ष्य 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1/1-8 सी1/2 एफ.आई.आर. की छाया प्रति, 9 सी1/1 डिस्चार्ज टिकट, 9 सी1/2-9 सी1/3 चोट प्रपत्र, 9 सी1/5-9 सी1/14 व 10 सी1/11 इलाज से संबंधित प्रपत्र व बिल, 11 सी1 आधार कार्ड बान सिंह,
2. 12 बी शपथ पत्र बान सिंह व 20 बी साक्ष्य शपथ पत्र बान सिंह

5. मैंने याची के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

6. विधि व्यवस्था रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011-SC): MANU/SC/0133/2011 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आइ.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा -20 और 21]* ।

7. याची की ओर से याचिका के समर्थन में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें याचिका के तथ्यों का समर्थन किया गया है अतः याचिका के तथ्य एकपक्षीय रूप से साबित है। अब प्रश्न यह है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि क्या होनी चाहिए। याची खेतिहर मजदूर वर्ग का व्यक्ति है। आय को साबित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अतः मैं इस मत का हूं

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.15 16:20:05 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

की क्षतिपूर्ति के गणना में मृतक की अकुशल मजदूर के रूप में कल्पित आय को संज्ञान में लेना न्यायोचित होगा। उल्लेखनीय है कि असंगठित अकुशल मजदूर को पूर्ण वर्ष रोजगार नही मिलता है। यह भी उल्लेखनीय है कि असंगठित कृषि मजदूर को भी पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व रु. 100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए रु. 200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। उल्लेखनीय है कि अकुशल मजदूर को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। माह मे औसतन चार दिन मजदूरी न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) रु. 165 निर्धारित की जाती है।

8. मेडिकल प्रपत्रों से यह स्पष्ट होता है कि याची के जांघ की हड्डी टूटी है तथा उसका ऑपरेशन हुआ है और राड डाली गई है। इलाज पर हुए खर्च के लिए लगभग ₹7,500 के बिल प्रस्तुत किए गए हैं। इन परिस्थितियों में इलाज पर हुए खर्च के मद मे ₹7,500, 2 माह की आय की क्षति के मद में ₹9,900, मानसिक व शारीरिक पीड़ा के मद में ₹30,000, पुष्टाहार के मद में ₹7,000, इलाज के लिए आवागमन के मद मे ₹6,000, सहायक की सेवाओं के मद मे ₹9,900, दिलाया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था **National Insurance Company Ltd. Vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019- SC): MANU/SC/0589/2019** के आलोक मे 7.5% ब्याज भी देय है।

9. ऐसा कोई भी पति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता है कि ट्रैक्टर महिंद्रा ही पंजीकृत स्वामी विपक्षी संख्या 1 है। अतः विपक्षी संख्या एक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का कोई मामला नहीं बनता है। चूंकि दुर्घटना यूपी 93 ए.बी. 4953 के चालक विपक्षी सं. 2 की लापरवाही के कारण हुयी है अतः वाहन चालक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 2 के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹70,300 (सत्तर हजार तीन सौ) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, हेतु आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी विपक्षी सं. 2 को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता संख्या 92352010008560 IFSC- SYNB0009235 मे RTGS/NEFT के माध्यम से/चेक के माध्यम से कर दे।

याची यह धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से अपने बैंक खाते मे प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 15.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 15.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी